न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 13/2024(पुरानी–75/2017)
प्रविष्टि दिनांक:– 20.03.2024(पुरानी–27.09.17)
निर्णय दिनांक :– 15.07.2024

::–उनवान–::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन जाति महाजन निवासी 324, जैन मोहल्ला बघेरा तह0 केकड़ी जिला केकड़ी एफ0बी0ओ0 मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स सब्जी मण्डी टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
2. मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स सब्जी मण्डी टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
3. श्री महेश चन्द अग्रवाल निवासी एफ–438, रोड़ नं0 2, वीकेआई एरिया जयपुर राज0 प्रोपरायटर मैसर्स रामावतार महेश चन्द बी–72, राजधानी कृषि उपज मण्डी, सीकर रोड़ जयपुर।
4. मैसर्स रामावतार महेश चन्द बी–72, राजधानी कृषि उपज मण्डी, सीकर रोड़ जयपुर।

– **अप्रार्थीगण**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) विपक्षीगण श्री कैलाश चंद जैन एवं श्री महेश चंद अग्रवाल स्वयं उपस्थित।

::–निर्णय–:: **दिनांक: 15.07.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.07.2017 को समय 02:00 पीएम पर मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स सब्जी मण्डी टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसीयत से श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र सोहन लाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कान्हा ट्रेडर्स सब्जी मण्डी टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर खाद्य पदार्थ कन्फेशनरी, तेल, घी, व मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कैलाश चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी पत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फेशनरी, तेल, घी, व मसाले के साथ दुकान की रैक में लगभग–50 मूल पैक **काली मिर्च (श्रीनाथ ब्राण्ड)** के पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 100 ग्राम पैकेट रखे हुए थे। इस **काली मिर्च (श्रीनाथ ब्राण्ड)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में कन्फेशनरी, तेल, घी, व मसाले के साथ दुकान की रैक में लगभग–50 मूल पैक **काली मिर्च (श्रीनाथ ब्राण्ड)** के पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 100–100 ग्राम के पैकेट्स में **काली मिर्च (श्रीनाथ ब्राण्ड) के बैच नम्बर 06 दिनांक 05.06.2017 थी को ज्यो का त्यो पैक्ड अवस्था में 100 ग्राम पैक के 20 मूल पैक वास्ते** नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन को रू 1240/– अक्षरे बारह सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री कैलाश चन्द जैन के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **काली मिर्च (श्रीनाथ ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 20 मूल पैक प्रत्येक 100–100 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों पांच–पांच नग को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1699 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं कैलाश चंद जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1699 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री कैलाश चंद जैन एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने श्री कैलाश चंद जैन को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 17 / 3851 दिनांक 10.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 508 / एक्ट / 2017 / 508 दिनांक 31.07.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **काली मिर्च (श्रीनाथ ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **काली मिर्च (श्रीनाथ ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा **(ii)** के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

–ःआदेशः–

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 श्री कैलाश चन्द जैन व अप्रार्थी सं0 3 श्री महेश चन्द अग्रवाल के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 1 पर कुल शास्ति रूपये 5,000 / – (अक्षरे पाँच हजार रूपये) व अप्रार्थी सं0 3 पर कुल शास्ति रूपये 5,000 / – (अक्षरे पाँच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.07.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
केकड़ी–राज0

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी